न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—12/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/12)

1. सांवरलाल गुर्जर पुत्र कालूराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी गुर्जर मोहल्ला ग्राम नायकी तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. इस्लामुदीन दत्तक पुत्र भूरबक्ष जाति मुसलमान फकीर, निवासी कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।
3. उप—पंजीयक केकड़ी जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

4. जमाल उर्फ जमालद्दीन पुत्र अलाद्दीन
   4/1 घीसी पत्नी जमाल उर्फ जगालद्दीन
   4/2 इमामुद्दीन पुत्र जमाल उर्फ जमालद्दीन
   दोनों जाति मुसलमान फकीर निवासी कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
   4/3 मदीना पत्नी इकबाल पुत्री जगाल उर्फ जमालद्दीन निवासी गेगल तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
   4/4 हसीना पत्नी शराफत पुत्री जमाल उर्फ जमालद्दीन निवासी चौसला कालोनी तहसील विजयनगर जिला अजमेर।
5. साबुद्दीन पुत्र अल्लादीन मृतक जरिए वारिसान
   5/1 फकरूदीन पुत्र शहाबुदीन उर्फ साबुदीन
6. रमजान उर्फ रमजानी पुत्र अल्लादीन **(फौत)**
   6/1 रूकसाना पत्नी रमजान मुकाम पोस्ट तहसील केकड़ी
   दोनों जाति मुसलमान फकीर निवासी कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
7. शहनाज पुत्री अनारदीन पत्नी रईस जाति मुसलमान निवासी सावर तहसील केकड़ी जिला अजमेर

तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, राजस्व वाद संख्या 138/2010

उपस्थितः—

1. श्री वीरेंन्द्र सिंह पंवार, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री शिव प्रकाश, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. श्री मनोज आचार्य, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4/1 से 4/4, 7.
4. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2, 3.
5. रेस्पोडेंट संख्या 5/1, 6/1 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः—06.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 138/2010 में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1—3 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए, 53, 188 व 208 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 2.90 हैक्टर भूमि में से प्रार्थी को भूरबक्ष का दत्तक पुत्र होने के कारण 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। अंत में वादी ने उनके हिस्से तक खातेदार घोषित कर, विवादित आराजीयात का बाई मिंटस एड बाउण्डस बंटवारा कर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी, वादी की कब्जे काश्त की आराजीयात पर कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखलंदाजी न करें। इस्लामुद्दीन के पास कोई रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं था और ना ही मुस्लिम विधि में कोई गोद लेने का प्रावधान है इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कतई पोषणीय नहीं होने से डिक्री किए जाने योग्य नहीं था। फिर भी उक्त वाद को आपसी राजीनामे से बिना सभी पक्षकारों की उपस्थिति के कैम्प कोर्ट में केवल जमाल के वारिसान के हस्ताक्षर से दिनांक 10.7.2015 को डिक्री करवा लिया। इसके पश्चात उक्त पत्रावली न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं होने से अंतिम डिक्री पारित नहीं हो सकी फिर दिनांक 15.4.2021 को वादी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 151 प्रस्तुत कर वाद में अंतिम डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी बिना पक्षकारों को नोटिस जारी किए सीधे ही तहसीलदार से जांच रिपोर्ट तलब कर आगामी दिनांक 13.5.2021 की नियत कर दी। फिर कोरोना महामारी के चलते दिनांक 2.7.2021 को पत्रावली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई जिसमें भी कोरोना के चलते आगामी दिनांक 23.7.2021 की नियत कर दी। इस प्रकार दिनांक 23.7.2021 को किसी भी पक्षकार को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए बगैर उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 23.7.2021 को ही अंतिम डिक्री जारी कर दी। जबकि पत्रावली 5 सालों तक उपलब्ध नहीं होने पर भी वादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जब विवादित भूमि में से साबुददीन का 1/5 हिस्सा अपीलांट द्वारा खरीद किए जाने के बाद उक्त धारा 151 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंतिम डिक्री पारित करवा ली। जबकि प्राथमिक डिक्री राजीनामे के आधार पर पारित की गई है जिसमें साबुददीन के हस्ताक्षर नहीं है इसलिए आदेश दिनांक 10.7.2015 विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 138/2010 में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 5/1, 6/1 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर कथन किया कि प्रार्थीगण के विक्रेता की

उपस्थिति के बिना ही राजीनामा प्रपत्र के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण के विक्रेता को भी नहीं थी और ना राजस्व रिकार्ड में उक्त निर्णय व डिक्री का हवाला दिया गया जबकि प्रार्थीगण विवादित आराजीयात का क्रेता होकर सह खातेदार काश्तकार है। जिससे प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.7.2015 व 23.7.2021 से व्यथित पक्षकार है। प्रार्थीगण रिकार्डेड सह खातेदार काश्तकार होकर विवादित आराजीयात के कब्जे काश्त में है एवं एक व्यथित पक्षकार है जिससे प्रार्थीगण को उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलांट के विक्रेता को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए बगैर प्राथमिक डिक्री पारित कर दी एवं तत्पश्चात अपीलांट को पक्षकार मुर्तिब किए बिना एवं मृतक के विरूद्ध अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिससे अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं हो पाई जब वादी द्वारा विवादित आराजीयात का निर्णय करवा लेने की बात किए जाने पर प्रार्थी ने दिनांक 13.12.2021 को अपने खाते की नकल निकलवाई और अभिभाषक नियुक्त कर मुकदमे की जानकारी करी तब अपीलांट को उनके विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 23.7.2021 की जानकारी हुई जिस पर उन्होंने ने दिनांक 26.12.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अभिभाषक से उक्त निर्णय की प्रति हेतु आवेदन करवाया एवं दिनांक 29.12.2021 को नकल प्राप्त होने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई और उसी दिन अजमेर आकर अधिवक्ता से मिलकर अपील तैयार करवाई और आज जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में कथन किया कि किसी भी न्यायालय की पत्रावली उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा पुनः पक्षकारों के पास उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नए सिरे से पत्रावली मुर्तिब कि जाकर उसे प्रमाणित किया जाता है तत्पश्चात उस पर अग्रिम कार्यवाही की जाती है इस प्रकार पत्रावली मुर्तिब किए बिना ही केवल धारा 151 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर डिक्री दिनांक 10.7.2015 के आधार पर अंतिम डिक्री पारित कर दी। राजीनामा प्रपत्र दिनांक 10.7.2015 को कैम्प कोर्ट का बताया गया है लेकिन कैम्प कोर्ट का नाम नहीं लिखा है और राजीनामा प्रपत्र में केवल जमाल के वारिसान के ही हस्ताक्षर है और इस्लामुददीन भी स्वयं जमाल का ही लडका है जिसकों पूर्ण राजीनामे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है उक्त राजीनामा प्रपत्र में साबुददीन व शहनाज के हस्ताक्षर नहीं है एवं रमजानी के हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है, इसलिए उक्त राजीनामा प्रपत्र भी अपूर्ण होकर स्वीकार योग्य नहीं था। अपीलांट को सुनवाई का उचित अवसर नहीं मिल सका और अपीलांट के प्राकृतिक न्याय के अधिकारों का हनन हुआ है इस प्रकार बिना सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया आदेश निरस्त योग्य है। विवादित भूमि साबुददीन के पुत्र फकरूदीन ने अपीलांट को दिनांक 12.3.2021 को बेचान कर दी थी और बेचान किए जाने के बाद विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त भी हो गया था। जिसकी जानकारी वादी संख्या 1 को थी। इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रकार वादी संख्या 1 ने पूर्णतया जानकारी में होने के बाद भी अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया इस प्रकार आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाए बिना ही न्यायालय द्वारा प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। मुस्लिम विधि में गोद लेने का कोई नियम व प्रावधान नहीं है और ना ही सक्युलर विधि के अनुसार वादी के पास कोई विधिक गोद नामा था। इस प्रकार वादी विवादित आराजीयात में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैरकानूनी रूप से पारित डिक्री के आधार पर वादी का वाद डिक्री मान कर जांच रिपोर्ट बाबत तहसीलदार को लिख दिया। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी ने ना तो साबुददीन के वारिसान को और ना ही अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव के संबंध में कोई नोटिस दिया और ना ही इस विभाजन प्रस्ताव की कोई जानकारी अपीलांट को हुई एव ना ही आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 138/2010 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2015 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शहाबुददीन पक्षकार मुर्तिब था एवं शहाबुददीन के द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष राजीनामा किया गया था एवं राजीनामें में शहाबुददीन के स्वयं के हस्ताक्षर राजीनामें के आधार पर पारित की गई थी ऐसी स्थिति में विपक्षी का कथन एकपक्षीय आदेश पारित किया कतई निराधार है। चूंकि विपक्षी अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष राजस्व वाद संख्या 135/2021 मय धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया हुआ है जिसमें उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को अपीलांट के हक एवं अधिकारों साथ ही बंटवारे के बाबत अधिकार तय करने है ऐंसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष विपक्षी की अपील ही प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं होने से काबिल खारिज योग्य है एवं साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित राजीनामें के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं उपरोक्त प्राथमिक डिक्री के आधार पर ही अंतिम डिक्री पारित की गई है ऐसी स्थिति में राजीनामें से पारित डिक्री के विरूद्ध विपक्षी को अपील पेश करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होने से एवं विपक्षी प्रभावित पक्षकार नहीं होने से विपक्षी को कानूनन अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शहाबुददीन के हिस्से में आई भूमि ही अपीलांट ने खरीद की है एवं बंटवारे में शहाबुददीन के हिस्से में आई भूमि ही अपीलांट को प्राप्त हुई है। साथ ही अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेग्युलर वाद वास्ते बंटवारा एवं उदघोषणा हेतु प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें अपीलांट के हक, अधिकार एवं बंटवारा होना तय होगा ऐसी स्थिति में विपक्षी न तो आवश्यक पक्षकार है न ही व्यथित पक्षकार है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब/बहस में कथन किया कि विपक्षी ने विवादित आराजी मुतनाजा शहाबुदीन पुत्र अलादीन से खरीद की थी एंव दिनांक 17.8.2021 को विपक्षी ने रेग्युलर वाद मय धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था ऐसी स्थिति में दिनांक 17.8.2021 को ही विपक्षी को उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी एंव साथ ही उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष शहाबुदीन के वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया था जबकि विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दिनांक 13.12.2021 को ही पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 29.12.2021 को होना अंकित किया है जबकि उनके द्वारा रेग्युलर वाद दिनांक 17.8.2021 को ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था ऐसी स्थिति में विपक्षी ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्य अंकित कर प्रस्तुत किया है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने जवाब/बहस अपील पर कथन किया कि ग्राम कादेड़ा की जमाबंदी संवत 2065–68 के खाता संख्या 291 रकबा 2.90 हैक्टर भूमि में से वादी/रेस्पोडेंट को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकर, वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दावा डिक्री कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था तहसीलदार केकड़ी ने उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव न्यायालय में बंटवारा प्रस्ताव पेश कर दिया गया था। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेंट का डिक्री निर्णय दिनांक 10.7.2015 के अनुसार 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया था। तथा वादी/रेस्पोडेंट का वाद ग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा नियत है। तथा शेष वादीगण का भी उक्त निर्णय दिनांक 10.7.2015 के अनुसार 1/6 हिस्सा नियत है तथा उसी अनुसार ही बंटवारा प्रस्ताव मौके पर तैयार किया गया था यह कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव व निर्णय दिनांक 10.7.2015 के अनुसार शाहबुद्दीन पुत्र अल्लाद्दीन कोम मुसलमान का वाद ग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा नियत था। तथा बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार खसरा नम्बर 992/2 व 993/1 खसरा नम्बर उसके हिस्से में आए हुए थे। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत बंटवारा प्रस्ताव के आदेश दिये है। अपीलांट ने अपने अधिकारों बाबत् विचारण न्यायालय में पृथक से दावा अन्तर्गत बंटवारा एवं उद्घोषणा हेतु प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें अपीलांट के हक, अधिकार एवं बंटवारा होना उसमें तय हो जायेगें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सहाबुद्दीन पक्षकार मुर्तिब था एवं सहाबुद्दीन के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा किया गया था एवं राजीनामे में सहाबुद्दीन के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त अपील राजीनामों के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जो चलने योग्य नही है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

10. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

11. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया कि प्राथीग्ण विवादित

आराजीयात का क्रेता होकर सह–खातेदार काश्तकार है, जिसको प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2017 से व्यथित पक्षकार है। हमारा मत है कि अपीलार्थी सांवरलाल ने जमीन क्रय की है। क्रेता सावधान रहे के सिद्धान्त अनुसार उसे आराजी को खरीदने से पहले यह देखना था कि इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति क्या है ? ,सहाबुद्दीन के हक अधिकार के सम्बन्ध में सांवरलाल को उज्र उठाने का कोई अधिकार नही है, गोद लेने या न लेने के प्रश्न का उज्र सहाबुद्दीन को था न कि क्रेता को। सहाबुद्दीन द्वारा बेचान किये गऐ 1/5 हिस्से पर आज भी सांवरलाल काबिज है, ऐसे में उसका हिस्सा कम कैसे हुआ, यह बताने में असफल रहा था। बाद विचाराधीन रहते हुए उसके द्वारा जमीन क्रय की गई वह वैसे भी ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट 1882 के सेक्सन 52 से पाबंद है। ऐसे में उज्र उठाये जाने का अधिकार नही है। शहाबुद्दीन के हिस्से में आई भूमि ही अपीलांट को प्राप्त हुई है। वैसे भी अपीलांट ने अपने अधिकारों बाबत् विचारण न्यायालय में पृथक से दावा अन्तर्गत बंटवारा एवं उद्घोषणा हेतु प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें अपीलांट के हक, अधिकार एवं बंटवारा होना, उसमें तय हो जाऐगी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सहाबुद्दीन पक्षकार मुर्तिव था एवं सहाबुद्दीन के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा किया गया था एवं राजीनामे में सहाबुद्दीन के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित है। ऐसे में राजीनामों के आधार पर हुई यह डिक्री अपील योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी खारिज योग्य पाया जाता है।

12. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी को खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा. दी. खारिज होने से अपील भी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर